चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 05.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बरगढ़ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह मय हमराह हिमांशु पटेल द्वारा मु0न0 45/19 धारा 128 सीआरपीसी के वारंटी अभियुक्त उमाशंकर सिंह पुत्र शिवनायक सिंह निवासी ग्राम लोढौता थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शनि चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में व उ0नि0 श्री कन्हैयानाथ यादव मय हमराह आरक्षी दुर्गेश कुमार व आरक्षी विपिन कुमार द्वारा अभियुक्त शशिकरन सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी बान तालाब सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद पाउच मस्ती गोल्ड ब्राण्ड शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). आज दिनाँक-05.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में थाना रैपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव, बंदीगृह,सीसीटीएनएस कार्यालय,प्रभारी निरीक्षक कार्यालय,महिला हेल्प डेस्क एवं नवनिर्मित भवन व अस्पताल का निरीक्षण कर परिसर के अन्दर रखे कण्डम सामान को व्यवस्थित रखकर साफ सफाई कराने एवं महाकुंभ प्रयागराज के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में लगातार चेकिंग,रास्ते से अतिक्रमण हटवाने व रोड पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न करने सम्बधित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(6). मा0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) कर्वी चित्रकूट के आदेश दिनांक 20.12.2024,21.12.2024 एवं 03.01.2024 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 05.01.2025 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह ,कार्यालय लिपिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्री राम बहादुर यादव,श्री अब्दुल फहीम,श्री राम प्रकाश ,आबकारी निरीक्षक श्री रवि शंकर गुप्ता,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे व प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में थाना मारकुण्डी परिसर में गढ़्ढा खोदवाकर कुल 151 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में दबाकर विनिष्टीकरण कराया गया।